

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 692/2018  
(M.A. No. 1401/2018)**

**IN THE MATTER OF:-**

**M/S AL-NAFEES FROZEN FOOD EXPORTS PVT. LTD.**

**APPLICANT**

**VS.**

**STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.**

**RESPONDENT (S)**

**INDEX**

<b>S.No.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE No.</b>
1.	<b>JOINT INSPECTION REPORT</b> IN COMPLIANCE OF HON'BLE NGT ORDER DATED 13.09.2019 IN THE MATTER OF O.A. NO. 692/2018, (M.A. NO. 1401/2018) TITLED AS M/S AL-NAFEES FROZEN FOOD EXPORTS PVT. LTD. Vs. STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.	
2.	<b>ANNEXURE-1: CONSENT LETTER</b> RECEIVED FROM UPPCB TO M/S AL-NAFEES FROZEN FOOD EXPORTS PVT. LTD. DATED 13.01.2018.	
3.	<b>ANNEXURE-2: FLOW DIAGRAM</b> OF ETP OF AL-NAFEES FROZEN FOOD EXPORTS PVT. LTD.	
4.	<b>ANNEXURE-3: HON'BLE NGT ORDER</b> DATED 13.09.2019.	



**(AJAY AGGARWAL)  
SCIENTIST 'E'**

**CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD  
PARIVESH BHAWAN EAST ARJUN NAGAR  
DELHI - 110032**

**PLACE: DELHI  
DATED: 21.01.2020**

Joint Inspection Report of M/s Al Nafees Frozen Food Export Pvt. Ltd., Hasanpur Bus Stop, Hapur Road, Dasna , NH-24, Ghaziabad (UP), by The Uttar Pradesh Pollution Control Board , Ghaziabad and The Central Pollution Control Board, Delhi

## Background

In compliance to the Hon'ble NGT (PB) order dated 13.09.2019 in O.A. No. 692/2018 (M.A. No. 1401/2018) in the matter of M/s Al-Nafees Frozen Food Exports Pvt. Ltd. Vs. State of Uttar Pradesh & Ors., a joint inspection of M/s Al-Nafees Frozen Food Exports Pvt. Ltd., Hasanpur Bus Stop, Hapur Road, Dasna , NH-24, Ghaziabad, U.P. (referred as 'the Unit') was carried out on 19.12.2019 by Shri Ajay Aggarwal, Scientist 'E', CPCB, Delhi, Shri Y.N. Mishra, Scientist 'C', CPCB, Delhi, Shri Ankit Singh, A.E.E., UPPCB, Ghaziabad and Shri Amit Gupta, JRF, UPPCB, Ghaziabad.



## Details about the Unit i.e. M/s Al-Nafees Frozen Food Exports Pvt. Ltd.

The unit has infrastructure for production of frozen boneless buffalo meat, poultry feed supplement (PFS), tallow and blood meal. UPPCB has granted Consent for slaughtering of 300 big animals (buffalos) per day and frozen meat production of 90 MT/day. All the processes were found in operation. The Unit started its operation from 30.10.2019 and slaughtering of only big animals is being carried out. The details of the unit are as follow:

General Information		
1.	Raw material	Live Buffaloes
2.	Consented production capacity for Products/By-products	i. Frozen Meat - 90 MT/day ii. Tallow - 10 MT/day iii. Meat & Bone Meals ( MBM) - 30 MT/day
3.	Consented/present slaughtering	Consented slaughtering capacity - 300 buffaloes/day, however, on the day of inspection, slaughtering of about 183 buffaloes were going on. Maximum number of slaughtering of buffaloes from 01.12.2019 to the day of inspection was 282.
Information pertaining to water consumption and wastewater generation		
4.	Freshwater source & consumption (kl/day)	<ul style="list-style-type: none"> <li>03 nos. of bore wells provided with mechanical flow meters.</li> <li>As per records maintained by the Unit , the raw water consumption details are as follow : <ul style="list-style-type: none"> <li>Average groundwater extraction 243 KL/day which includes 6 KLD (approx.) for domestic purposes.</li> </ul> </li> </ul>
5.	Type of flow meter(s)	Mechanical flow meters installed on all three bore wells.
6.	Flow meter Reading (s)	Bore well 1- Total flow - 9036 m <sup>3</sup> (standby) Bore well 2 - Total Flow - 1481 m <sup>3</sup> (standby) Bore well 3 - Total Flow - 314626 m <sup>3</sup>
7.	Status of NOC from CGWA for ground water extraction	The Unit has obtained permission from CGWA vide NOC No. CGWA/NOC/IND/OR/G/2016/2361 dated 10.11.2016 for extraction of 600 KL ground water per day. This was valid up-to 09.11.2018. The industry has applied for renewal of the application vide No. 21-4/1045/UP/IND/2016 on 12.11.2018. Hence, the unit does not have a valid permission to abstract ground water, as of now.
8.	Consented wastewater discharge (KLD)	Industrial - 642 KLD Domestic - 08 KLD

*Ajaya* *Agarwal*

9.	Consent Status under the Water Act, 1974	The Unit has consent with validity up to 31.12.2019 and applied for renewal on 30.11.2019 ( <b>Annexure-1</b> ).
10.	Treated Wastewater discharge (kl/day)	<p>The unit has installed OCEMS for all the requisite parameters i.e. pH, TSS, BOD, COD and Flow. On the day of inspection the OCEMS was not in operation as it was damaged due to heavy rain and thundering on 12.12.2019, as informed by the unit. The unit has provided a print-out of e-mail, which was forwarded to the Service Provider of OCEMS for repairing. Although, no information was provided by the Unit in this regard to CPCB/UPPCB.</p> <p>The maximum value of flow as recorded by the OCEMS from 10.12.2019 to 12.12.2019 was 17.27 KL/Hr, which was recorded on 10.12.2019 at 13:01 PM. Considering the same flow for 24 hours, the total water consumption on 10.12.2019 would be 414 KL.</p>
11.	ETP details	<p>The Unit has installed ETP with hydraulic treatment capacity of 1200 KLD based on two stages Activated Sludge Process. (<b>Annexure-2</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ETP is comprised of primary treatment and secondary treatment followed by tertiary treatment.</li> <li>✓ Primary treatment includes Screen Chamber, Oil &amp; Grease traps, Equalization Tank (1), Solid Separator, Equalization Tank (2), Tube Settler, and DMF (Dual Media Filter).</li> <li>✓ Secondary treatment is biological treatment based on Activated Sludge Process and</li> <li>✓ Tertiary treatment includes Dual Media Filter (DMF) &amp; ACF.</li> <li>✓ Domestic wastewater is treated through septic tank cum soak pit.</li> </ul> <p>The unit has installed Blood Meal Plant with blood pump, screw pump and agitator (Blood coagulator) having capacity of 1500 Liters/hour.</p>
12.	Mode of Effluent disposal	Treated effluent is conveyed through underground pipeline to their own land for irrigation (about 5 acres). The remaining water is discharged into the Dasna drain which meets the river Hindon.
13.	Odour Control	The Unit has provided bio-filters to suppress the odour from rendering plant.
<b>Information pertaining to Air Pollution</b>		
14.	Source of Air Pollution, details of fuel and status of APCDs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Unit has two boilers of capacity 8 and 12 T/hr.</li> <li>• Wood and rice husk are used as fuels in the boilers. These are installed with multi-cyclone as Air Pollution Control Devices (APCDs).</li> <li>• Flue gases are discharged into the ambient air through a common stack of 30 meters height.</li> <li>• The Unit has provided six DG Sets with following details:</li> </ul>

		DG sets Capacity (KVA)	Acoustic Enclosures (Y/N)
		1010 (KVA) X 2	Yes
		725 (KVA) X 1	Yes
		500 (KVA) X 2	Yes
		325 (KVA) X 1	Yes
<b>Information pertaining to ETP sludge and other solid waste</b>			
15.	Quantity of ETP sludge and other solid waste generated	i. As per records provided by the unit, average sludge generation from 01.12.2019 to 18.12.2019 was 0.085 MTD. ii. The Unit has maintained logbook for ETP sludge since Nov. 2019. iii. However, records on generation, processing and utilization/ disposal of animal dung and stomach content were not maintained.	
16.	Nature of waste	Organic	
17.	Facility for storage/ disposal /treatment	Storage area has been provided for ETP sludge and other wastes. The Unit informed that the ETP sludge is sold as manure.	

**Observations:**

**General:**

- i. During inspection, the Unit was found in operation. Slaughtering of about 183 buffaloes were in process as against the consented slaughtering of 300 animals/day and meeting raw/fresh water requirement through Bore wells.
- ii. The Unit has provided one treated effluent storage tank before discharge of effluent and sludge drying beds (3 nos.) for drying the sludge generated from primary and secondary treatment.
- iii. The Unit has provided OCEMS for the parameters, namely, pH, TSS, BOD, COD & flow and it was found non-operational during the visit, as informed, it was damaged due to heavy rain and thundering on 12.12.2019. The unit has provided a print-out of e-mail, which was forwarded to the Service Provider of OCEMS for repairing. Although, no information was provided by the Unit in this regard to CPCB/UPPCB.
- iv. The Unit has provided septic tank followed by soak-pit for treating domestic effluent, adequate space (room) for storage & preservation of hides.
- v. The Unit has provided underground piping network for conveyance/discharge of treated effluents onto own premises (approx. 5 acres) for ferti-irrigation. A portion of this land is used for composting of animal dung.
- vi. The unit is having valid consents under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution), Act, 1981 till 31.12.2019 and applied for renewal of consents which is under consideration.
- vii. Both the equalization tanks, are equipped with mixing arrangement through diffused aeration system.
- viii. The Unit uses food grade coagulant and poly electrolyte for treatment of effluent before subjecting the effluent to biological treatment through activated sludge process.




- ix. Aeration tanks used for biological treatment are provided with diffused aeration system. Air is supplied with help of two blowers of 45 HP each. One additional blower of 45 HP provided by the Unit as standby arrangement.
- x. The unit has installed an additional Rendering Plant of capacity 10,000 Kg/batch of 3 hours. This plant can be operated for 6-8 batches every day. Now the industry has 3 cookers for rendering purpose.
- xi. Unit has installed bio filter for treatment of fumes generated from cookers used in rendering plant. Arrangements are made for collection of fumes generated from cookers and their channelization through bio-filter.
- xii. The unit has provided ingesta de-watering machine.
- xiii. Dedicated hides storage area is provided.
- xiv. DG sets were provided with stacks as well acoustic enclosure.

#### Water Pollution:

During inspection, all ETP units were found in operation. In order to monitor the compliance status of treated waste water, grab samples were collected from inlet, Equalization Tank, Aeration Tanks and outlet of ETP. The analysis results are presented below:

Sampling Locations	Parameters					
	pH	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	O&G (mg/l)	MLSS (mg/l)
ETP inlet	7.23	238	463	951	-	-
Equalization tank	7.70	579	520	1378	-	-
Aeration Tank-1	-	-	-	-	-	2134
Aeration Tank-2	-	-	-	-	-	1189
ETP Final outlet	7.07	16	07	47	BDL	-
Notified Standard	6.5-8.5	50	30	250	10	-

The monitored values at the ETP outlet are complying with the notified/prescribed standards.

The Unit has provision for manual removal of Oil & Grease. Dissolved Air Flootation (DAF) was under installation for efficient removal of solids.

#### Air Pollution :


- i. Two boilers of 8 TPH & 12 TPH are installed. During inspection the boiler having capacity of 8 TPH was in operation and emissions are channelized through stack of height 30 mts. Portholes and sampling platforms are provided.
- ii. On the day of inspection, the boiler of 08 TPH was operational. However, UPPCB pointed out that the Unit has not obtained CTE from UPPCB for installation of additional 12 TPH boiler and additional DG set of capacity 325 KVA.

#### Conclusion:

- a. The Unit should ensure that the treated waste water is discharged as per prescribed standards on continuous basis.
- b. The unit should ensure to operate OCEMS, uninterruptedly & calibrate on regular basis. In case of any interruption in operation of OCEMS, the same should be brought to the knowledge of CPCB /UPPCB.
- c. The Unit should obtain permission from UPPCB for installations/operation of 12 TPH boiler and an additional DG set of capacity of 325 KVA.




- d. The unit should install digital flow meter on the pipe line, through which the effluent is being conveyed for irrigation purpose and maintain logbook.
- e. The unit should engage an expert government agency, say CLRI, Chennai for Environmental Audit of the Plant including ETP performance evaluation. The report be submitted to CPCB and UPPCB within a period of 3 months.
- f. The unit should follow the Guidelines for Utilisation of Treated Effluent in Irrigation, which are available on the website of CPCB at the web-link <https://cpcb.nic.in/NGT/Guidelines-UTE-Irrigation.pdf>

  
Ankit Singh  
AEE  
UPPCB, Ghaziabad

  
Y.N. Mishra,  
Scientist 'C'  
CPCB, Delhi

  
Ajay Aggarwal  
Scientist 'E'  
CPCB, Delhi



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0-12, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए  
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV  
बृहद उद्योगों हेतु  
सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या

129 / सी-1 / सहमति जल-490 / 2017

लखनऊ, दिनांक- 18/1/19

विषय : मैसर्स अल-नफीस फोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्रा0लि0, खसरा नम्बर-2560 एवम् 2579, एन0एच0-24, 31 कि0मी0, हापुड़ रोड, ग्राम व परगना-डासना, गाजियाबाद को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत उत्प्राह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या-

दिनांक :

1. जल राशि या (ड्रेन) में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मैसर्स अल-नफीस फोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्रा0लि0, गाजियाबाद को उसके परिसर से निकलने वाले उसके औद्योगिक उत्प्राह को ईटीपी के माध्यम से सिचाई/ड्रेन द्वारा सरिता/नदी में निस्तारित करने के लिए तथा घरेलू उत्प्राह को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित करने हेतु अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक-31.12.2019 तक की अवधि हेतु मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।  
(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)।

( डा0 राजीव उपाध्याय )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

अनुलग्नक : संलग्नक।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या--...../179/सहमति(जल)/आदेश/2017

दिनांक 22.6.19

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।  
उत्प्रवाह का प्रकार अधिकतम दैनिक निस्तारण  
कि०ली०/दिन

(i) घरेलू	-	8.0
(ii) औद्योगिक	-	642.0

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. (i) घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सीवर के माध्यम से किया जाये।  
(ii) औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।  
27° से० पर 3 दिन की बी०ओ०डी०  
कुल निलम्बित ठोस, अधिकतम

30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो
50 मिग्रा०/ली०से अधिक न हो

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह (पर्यावरण) संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।
7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।

8. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
9. उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन में प्रयुक्त विद्युत मीटर की माप हेतु पृथक से विद्युत मीटर स्थापित कर उसकी लागबुक मेन्टेन की जाये। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन हेतु प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति की जाये।
10. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
11. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को मली भौंति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
12. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का मली भौंति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
  - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
  - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
  - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
13. हैजाईस पदार्थों एवम् विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
14. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
15. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।
16. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
17. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

- 18 प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिये गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
- 19 प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।
- 20 उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
- 21 प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
- 22 एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 23 प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
- 24 फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
- 25 निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
- 26 इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

टी0सी0-12, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

बृहद उद्योगों हेतु  
सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या H14960 /सी-1/जल प्रदूषण-490/17

पंजीकृत  
दिनांक- 13/11/10

सेवा में,

मैसर्स अल-नफीस फ़ोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्रा0लि0.  
खसरा नम्बर-2560 एवम् 2579,  
एन0एच0-24, 31 कि0मी0, हापुड रोड,  
ग्राम व परगना-डासना,  
गाजियाबाद

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25@26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रकिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति ।  
महोदय,

कृपया उद्योग के सहमति आवेदन पत्र जो कि बोर्ड में दिनांक-06.09.2017 तथा अन्तिम सूचना दिनांक-31.10.2017 को प्राप्त है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या- /सी-1/सहमति (जल) आदेश-490/2017 दिनांक- को संलग्न कर निर्गत किया जा रहा है। आपका ध्यान सहमति में दिये गये शर्तों एवम् नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करने हेतु आकृष्ट किया जाता है।

1. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें तथा मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
2. घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक सोकपिट के माध्यम से करें किसी भी दशा में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण नदी/नाले आदि में न किया जाये।
3. आपके उद्योग की आडिट हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति-वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण पत्र 03 माह के अन्दर प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं।
4. ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित किया जाये जिससे कि मृदा, नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
5. इकाई परिसर में रिक्त भूमि पर पर्याप्त वृक्षारोपण करें, जिससे कि वातावरण में सुधार हो एवम् पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस संदर्भ में प्रगति आख्या 03 माह में भेजना सुनिश्चित करें।
6. यह सहमति अधिकतम भैंस/भैंसा-300 नम्बर/शिफ्ट तथा 500 नम्बर/शिफ्ट का प्रयोग कर फ़ोजन मीट-90 मी0टन/दिन, टेलो 10 मी0टन/दिन व एम0बी0एम0-30 मी0टन/दिन के वर्तमान उत्पादन क्षमता हेतु विधि मान्य है।
7. उद्योग से जनित उत्प्रवाह को करनाल पद्धति से सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये तथा किसी भी दशा में उत्प्रवाह का निस्तारण नदी नाले में नही किया जायेगा।

9. इकाई से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु परिसर में स्थापित रेण्डरिंग प्लांट का संचालन नियमित रूप से करते हुए ठोस अपशिष्ट का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये एवम् किसी भी दशा में ठोस अपशिष्ट को भण्डारित न किया जाये।
10. भूमिगत जल के दोहन हेतु सी0जी0डब्लू0ए0 से 600 केएलडी की अनुमति प्राप्त की गयी है। अतिरिक्त भूजल दोहन किये जाने की दशा में सी0जी0डब्लू0ए0 से अनुमति प्राप्त कर बोर्ड में एक माह में प्रस्तुत करें।
11. उद्योग द्वारा उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1965 (यथासंशोधित) एवम् पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. इकाई परिसर में गंधरोधी (एरोमेटिक प्रजाति) वृक्षों की सघन हरित पट्टिका विकसित की जाये।
13. उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करें।
14. इकाई का संचालन इस प्रकार किया जाये कि आसपास के पर्यावरण एवम् जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
15. उद्योग में स्थापित समस्त जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन व रख-रखाव समुचित रूप से किया जाये, जिससे कि उत्प्रवाह की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
16. उद्योग का पर्यावरण वक्तव्य निर्धारित समयवाधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
17. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यदि उद्योग के विरुद्ध बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है तो उद्योग को संचालन हेतु प्रदान की गयी सहमति बन्दी आदेश के प्रभावी रहने की अवधि में खण्डित रहेगी तथा बन्दी निक्षेपण के साथ सहमति स्वतः पुनः प्रभावी हो जायेगी।
18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवम् अन्य सुसंगत नियमों के आवश्यक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा&25@26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27¼2½ के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।  
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत ।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

( डा0 राजीव-उपाध्याय )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग का सतत अनुश्रवण रखें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

बृहद उद्योगों हेतु  
सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या — 173/सी-1/सहमति (वायु) आदेश-490/2017

लखनऊ, दिनांक-13.1.18

विषय : सहमति मैसर्स अल-नफीस फोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०, खसरा नम्बर-2560 एवम् 2579, एन०एच०-24, 31 कि०मी०, हापुड़ रोड, ग्राम व परगना-डासना, गाजियाबाद को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ : आवेदन संख्या-

दिनांक :

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र सहमति मैसर्स अल-नफीस फोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०, गाजियाबाद को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक-31.12.2019 तक की अवधि हेतु मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत। (सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)।

अनुलग्नक : संलग्नक ।  
(सहमति शर्तें)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-.....177...../सहमति(वायु)आदेश /2017

दिनांक.....13.1.18

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वायु प्रदूषण के स्रोत

- (i) ब्यायलर क्षमता-5 टीपीएच
- (ii) 500 केवीए क्षमता के डी0जी0सीट-02,  
725 केवीए का-01 तथा 1010 केवीए  
क्षमता के-02 डी0जी0सीट

सम्बद्ध चिमनी

भूतल से 30 मीटर ऊँची।  
एकास्टिक इन्क्लोजर एवम् छत तल  
ऊँचाई: 4 मीटर, 6 मीटर तथा  
6 मीटर ऊँची चिमनियाँ स्थापित।

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
  - (i) पार्टिकुलेट मैटर-800 मिलीग्राम प्रतिनार्मल घन मीटर।  
(पी0एम0)
3. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
4. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
5. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. विन्दु संख्या-4, 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
- 10 किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
- 11 इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
- 12 इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
- 13 इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
- 14 इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
- 15 आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता /इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- 16 उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
- 17 आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 120 दिन अथवा नवीन वा प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 120 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।

सहमति आदेश मैसर्स अल-नफीस फ़ोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०, डासना, गाजियाबाद

. 4 .

- 18 बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
- 19 आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
- 20 इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
- 21 इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

बृहद उद्योगों हेतु  
सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या H14961 /सी-1/वायु प्रदूषण-490/2017

दिनांक- 13/11/18

सेवा में,

मैसर्स अल-नफीस फ़ोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०,

खसरा नम्बर-2560 एवम् 2579,

एन०एच०-24, 31 कि०मी०, हापुड़ रोड,

ग्राम व परगना-डासना,

गाजियाबाद

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की यथासंशोधित की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उद्योग के सहमति आवेदन पत्र जो कि बोर्ड में दिनांक-06.09.2017 तथा अन्तिम सूचना दिनांक-31.10.2017 को प्राप्त है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपको सरासरी सहमति आदेश संख्या- /सी-1/सहमति (वायु) आदेश-490/2017, दिनांक- को संलग्न कर निर्गत किया जा रहा है। आपका ध्यान सहमति में दिये गये शर्तों एवम् नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करने हेतु आकृष्ट किया जाता है।

1. प्लू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के प्रत्येक 06 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे परिवेशीय गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
3. आपके उद्योग की आडिट हुई नवीनतम बैलेंसशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति-वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं। बैलेंसशीट तथा अवशेष देय शुल्क तीन माह के अन्दर प्रेषित करें।
4. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित सगयावधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. इकाई परिसर में रिक्त भूमि पर पर्याप्त वृक्षारोपण करें, जिससे कि वातावरण में सुधार हो एवम् पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस संदर्भ में प्रगति आख्या 03 माह में भेजना सुनिश्चित करें।
6. यह सहमति अधिकतम भैंस/भैंसा-300 नम्बर/शिफ्ट तथा 500 नम्बर/शिफ्ट का प्रयोग कर फ़ोजन मीट-90 मी०टन/दिन, टेलो 10 मी०टन/दिन व एग०बी०एम०-30 मी०टन/दिन के वर्तमान उत्पादन क्षमता हेतु विधि मान्य है।
7. उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करें।

...2

Scanned by CamScanner

8. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये कि आसपास के पर्यावरण एवम् जनमानस प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
9. उद्योग में स्थापित रेण्डरिंग प्लाण्ट से जनित को बायो फिल्टर के माध्यम से इस प्रकार शोधित किया जाये जिससे कि आसपास के वातावरण में दुर्गन्ध की समस्या व्याप्त न हो।
10. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन इस प्रकार किया जाये जिससे कि प्रदूषणकारी अवयव की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे।
11. उद्योग में ईंधन के रूप में यथासंभव क्लीन फ्यूल यथा पीओएनजीओ का प्रयोग किया जाये।
12. उद्योग द्वारा उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम 1965 (यथासंशोधित) एवम् पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. इकाई परिसर में गंधरोधी (एरोमेटिक प्रजाति) वृक्षों की सघन हरित पट्टिका विकसित की जाये।
14. फलू गैस उत्सर्जन तथा वायु अनुश्रवण आख्या 06 माह में बोर्ड में प्रेषित की जाये।
15. उद्योग के विरुद्ध प्रदूषण संबंधी शिकायत प्राप्त होने एवम् बोर्ड द्वारा उसकी पुष्टि किये जाने की दशा में यह सहमति निरस्त की जा सकती है।
16. उद्योग में स्थापित ब्यायलर में ईंधन के रूप में 20 प्रतिशत बायो ब्रिकेट का प्रयोग किया जाये।
17. पेट कोक एवम् फर्नेश ऑयल का ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रसंग में रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13029/1985 एमओसीओमहता बनाम यूनियन आफ् इण्डिया व अन्य में माओ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
18. परियोजना द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवम् अन्य सुसंगत नियमों के आवश्यक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
19. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उओप्रओप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यदि उद्योग के विरुद्ध बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है तो उद्योग को संचालन हेतु प्रदान की गयी सहमति बन्दी आदेश के प्रभावी रहने की अवधि में निरस्त रहेगी तथा बन्दी निक्षेपण के साथ सहमति स्वतः पुनः प्रभावी हो जायेगी।
20. परियोजना द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवम् अन्य सुसंगत नियमों के आवश्यक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।  
इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उओप्रओप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में एक विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।  
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

  
( डा० राजीव उपाध्याय )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1


प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उओप्रओप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग का सतत अनुश्रवण रखे।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

### FLOW DIAGRAM OF ETP

M/S AL-NAFEES FROZEN FOOD EXPORTS PVT, LTD.

HAPUD ROAD, DASNA, DISTT: GHAZIABAD (U.P)




For M/S Al-Nafees Frozen Food Exports Pvt. Ltd.

*[Handwritten Signature]*  
Signature

For M/Al Nafees Frozen Food Export Pvt. Ltd.

*Handwritten signature*  
Authorized Signatory



**LAYOUT PLAN OF ETP PLANT OF M/S 'AL NAFEE'S'**

- TANKS**
- T-1. Eff. Receiving Tank 1.5MX1.5MX2.5M
  - T-2. Bar Screen Chamber 2MX1MX1M
  - T-3. O & Grease Trap 4.5MX2.5MX1.5M
  - T-4&5. Equalizing Tanks 20MX10MX3.5M
  - T-6. First Clear water Tank 1MX1MX1.5M
  - T-7&8. Aeration Tank 20MX10MX2.5M
  - T-9. Aerated Water Tank 1MX1MX1.5M
  - T-10. 2nd Clear Water Tank 1MX1MX1.5M
  - T-11. 3rd Clear Water tank 1MX1MX1.5M
  - T-12. Treated Water Tank 5MX10MX2.5M
  - T-13. Chem. Sludge Bed 3MX2MX2M
  - T-14. & 15 Bio-Sludge Tanks 3MX2MX2M
  - T-16. Filtrate Tank 2MX2MX2M
  - T-17, 18. Chemical stock Tanks 2MX2MX2M
  - T-19, 20. Chemical Dozing Tanks 0.5MX0.5MX0.5M
  - T-21. Poly-Elect Stock/Dozing Tank 1MX1MX1.5M

- EQUIPMENTS**
- E-1. Flash Mixer 2MX2.5MX1.25M
  - E-2. Primary Clarifier 7MX7MX2.5M
  - E-3. D. M. F.- 1.3M DIA
  - E-5. Secondary Clarifier 8M DIA
  - E-7. D. M. F.- 1.3M DIA
  - E-8. Clarifier-I. 6M DIA
  - E-9. D. M. F.- 1.3M DIA
  - E-10, 11, 12. Filter Presses
- ROOMS**
- Chemicals Room 9Mx5m
  - Panel Room 5Mx5M

- PUMPS**
- P-1, 2. Eff. Lifting Pumps
  - P-3, 4. Effluent Lifting Pumps
  - P-5. DMF-I Feed Pumps
  - P-6 & 7. Sec. Clarifier Pumps
  - P-8. DMF-II Feed pump
  - P-9. DMF-III Feed Pump
  - P-10, 11. Treated Water Pump
  - P-12. Sludge Circulation Pump
  - P-13. Bio-Sludge Pump
  - P-14. Chemical Sludge Pump
  - P-15. Filtrate Pump
  - P-16 TO 21. Chemical dozing Pumps
  - P-22. Chlorine dozing Pump
- BLOWERS**
- B1&2. Twin Lobe Air Blower 5 HP
  - B-3,4,5,6. Twin Lobe Air Blower 15 HP

**SDV ENGINEERING ASSOCIATES (P) L<sup>T</sup>**  
345/2 THAN SINGH NAGAR ANAND  
PARBAT  
NEW DELHI-110005

Item No. 01

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 692/2018  
(M.A. No. 1401/2018)

M/s Al-Nafees Frozen Food Exports Pvt. Ltd.

Applicant(s)

Versus

State of U.P. &amp;Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 13.09.2019

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER**

For Applicant:

Mr. Sunil Dalal and Mr. Vivek Jain, Advocates

**ORDER**

1. This application, though filed as an independent one, in substance is an application in a disposed of matter being O.A. No. 318/2016, Shailesh Singh v. State of U.P. & Ors. decided on 18.09.2018. Therein, considering the inspection report in respect of the applicant unit, the applicant unit was directed to be closed down for violation of the environmental norms and required to pay compensation of Rs. 10 lacs. It was, however, observed that it could move this Tribunal after complying with environmental norms.
2. Accordingly, present application was filed 10 days after the said order on 28.09.2018 claiming that unit was compliant.
3. This Tribunal issued notice and on 02.01.2019, directed a joint inspection by CPCB and UPPCB. The joint Committee gave its report dated 10.01.2019 to the effect that slaughtering permission may be limited to one shift consented and another

inspection be conducted. The recommendations in the report are:-

*“The industry can be permitted to resume the operation subject to following conditions:*

1. *Initially, the slaughtering permission may be limited to one shift consented slaughtering permission i.e. 300 buffaloes per day only as MLSS needed for - treatment of waste-water in one of the Aeration Tanks has been completely vanished. Another aeration tank is seen with MI SS. Development of activated MLSS shall require some time. Otherwise also, the industry has never slaughtered more than 285 buffaloes on any day during Feb. 2018 to Sept 2018 as evident from the records provided by the unit.*
2. *Another joint inspection of the unit be conducted after 15 days from resuming the operation so as to physically verify the functioning and efficiency of new units installed and performance of ETP.*
3. *Based on the findings of the joint inspection report as mentioned in 2 above, decision may be taken to permit the industry for operation at full capacity.*
4. *Since the location of ingesta drying plant is not proper, the same will be shifted near to boiler area within a period of 3 months where the dried ingesta / dung is to be used as fuel. Enough space is available near to boiler area. This will also eliminate chances for its arbitrary disposal.*
5. *The consent issued by UPPCB needs to be modified in context to permission for slaughtering so as to match the water consumption figures in line with permission granted by CGWA. Large quantities of water are required for operation & maintenance of air conditioning and cooling towers also.*
6. *The industry shall engage some expert government agency of this field preferably CLRI Chennai, IIT Delhi or IIT Roorkee for Environmental Audit of the Plant, adequacy assessment of pollution control units and their performance evaluation. The report be submitted to CPCB, UPPCB and Hon'ble NGT within a period of 3 months.”*

4. Another inspection was directed to be conducted vide order dated 25.02.2019. In response to the said order, inspection report was submitted on 09.04.2019, a copy of which has been handed over by learned counsel for the applicant. Report is to the effect that if the plant is to resume operation, it must complete the work and resume operation on trial basis for few days only for inspection and thereafter UPPCB may conduct inspection.
5. In view of above, we dispose of this application with a direction that joint Committee of CPCB and UPPCB may take a call on the compliance which may be claimed in terms of the above i.e. after a trial run for one month. The joint Committee may furnish a status report to this Tribunal by 15.11.2019.

The report may be listed for consideration on 25.11.2019.

Except for consideration of report, the matter may be treated as disposed of.

It is made clear that we have not expressed any opinion about rights of the bank against the unit and the proceedings which the bank may have taken and this order will not interfere with and will be subject to such proceedings.

Adarsh Kumar Goel, CP

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

September 13, 2019  
Original Application No. 692/2018  
A